Car vigypati dindori

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला डिण्डौरी म0प्र0

क्रमांक / 614 / खाद्य लेखा / स्थापना / 2015 डिण्डौरी दिनांक 30 नवम्बर 2015

(विज्ञप्ति)

आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक 2667 / बजट / 2015–16 दिनांक 16.09.2015 में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 2015–16 में दिनांक 31.03.2015 के लिये वाहन किराये पर लिया जाना है । जिसके लिये दिनांक 01.12.2015 से 05.12.2015 तक वाहन मालिको से संक्षिप्त निविदा आमंत्रित की जाती है ।

कार्यालय द्वारा वाहन निम्न शर्तो के अधीन किराये से लिया जावेगा :–

1. लक्जरी वाहन किराये से नहीं लिया जावेगा एवं वाहन वर्ष 2014 के पूर्व के वाहन किराये से नहीं लिये जावेगे ।
2. वाहन की डीजल की खपत न्यूनतम 10 किलोमीटर प्रति लीटर होना अनिवार्य है ।
3. वाहन किराये की अवधि में डीजल को छोड़कर वाहन में होने वाली क्षति (टूट–फूट, टायर –ट्यूब , बैटरी आदि) की जबावदारी वाहन मालिक की होगी । वाहन सेल्फ स्टार्ट होना अनिवार्य है ।
4. वाहन मालिक को एक माह के किराये के बराबर सुरक्षा निधि (अर्नेस्ट मनी) नगद जमा कराना होगी ।
5. वाहन का उपयोग समस्त दिनों में किसी भी समय किया जा सकता है ।
6. वाहन मालिक के द्वारा मय वाहन चालक के वाहन उपलब्ध कराया जावेगा । वाहन चालक का वैद्य ड्राईविग लायसेंस होना अनिवार्य है । वाहन चालक का समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा ।
7. वाहन का टैक्सी कोटा में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है । वाहन चालक को वाहन से संबंधित दस्तावेज , पंजीकरण , बीमा , रजिस्ट्रेशन, फिटनेश प्रमाण पत्र , अदि ड्राईविग लायसेंस के साथ रखना अनिवार्य होगा ।
8. वाहन चालक को लॉगबुक संधारित किया जाना अनिवार्य होगा तथा माइलोमीटर में गड़बड़ी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी मान्य होगी ।
9. वाहन की आवश्यकता न होने पर अथवा शर्तो का उल्लंघन होने की स्थिति में 15 की दिन सूचना देते हुये अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।
10. वाहन के किराये का भुगतान नियंत्रण अधिकारी (जिला आपूर्ति अधिकारी डिण्डौरी) द्वारा प्रमाणित मासिक देयक के आधार पर आगामी माह में किया जावेगा ।
11. निविदा दिनांक 05.12.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे कार्यालय में खोली जावेगी तथा निर्धारित दिनांक को निविदा न खोले जाने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर खोली जावेगी ।

अपर कलेक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी
(खाद्य--शाखा)
जिला डिण्डौरी

क्रमांक / 614 ए / खाद्य लेखा / स्थापना / 2015 डिण्डौरी दिनांक 30 नवम्बर 2015

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल एन आई सी के पोर्टल पर उक्त निविदा का प्रर्दशन कराना सुनिश्चित् करें एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ की ओर सूचनार्थ एवं सभी स्थानीय दैनिक समाचार
4. नाजिर शाखा जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अपर कलेक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी
(खाद्य–शाखा)
जिला डिण्डौरी